इकाई 4 नगरपालिका कचरे के संबंध में नियम और विनियम

इकाई की रूपरेखा

4.0 प्रस्तावना

4.1 उद्देश्य

4.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की मुख्य विशेषताएं

4.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित क्षेत्र

4.4 बोधप्रश्न 1

4.5 विभिन्न पणधारियों के कर्त्तव्य

- 4.5.1 अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के कर्त्तव्य
- 4.5.2 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कर्त्तव्य
- 4.5.3 शहरी विकास मंत्रालय के कर्त्तव्य
- 4.5.4 उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के कर्त्तव्य
- 4.5.5 कृषि मंत्रालयके कर्त्तव्य
- 4.5.6 विद्युत् मंत्रालय के कर्त्तव्य
- 4.5.7 नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के कर्त्तव्य
- 4.5.8 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी विकास के प्रभारी सचिव के कर्त्तव्य
- 4.5.9 जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर या उपायुक्त के कर्त्तव्य
- 4.5.10 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी सचिव के कर्त्तव्य
- 4.5.11 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्त्तव्य
- 4.5.12 स्थानीय निकायों और जनगणना नगरों की ग्राम पंचायतों तथा शहरी समूहों के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व
- 4.5.13 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के कर्त्तव्य
- 4.5.14 निपटानयोग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्यकर नैपकिनों और डायपरों के विनिर्माताओं या ब्रांड स्वामियों के कर्त्तव्य
- 4.5.15 कचरा व्युत्पन ईंधन से सौ कि.मी. के अंदर अवस्थित औद्योगिक इकाईयों और ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा संयंत्रों के कर्त्तव्य

4.6 बोधप्रश्न 2

4.7 मानदंड

4.7.1 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और शोधन सुविधा की स्थापना के लिए मानदंड

4.7.2 पर्वतीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानदंड

4.7.3 अपशिष्ट से ऊर्जा प्रसंस्करण के लिए मानदंड

4.8 अनुसूचियाँ

4.8.1 स्वास्थ्यकर भरण स्थलों के लिए विनिर्देश

4.8.2 ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और शोधन के मानक

4.9 सारांश

4.10 प्रमुखशब्द

4.11 संदर्भ औरसुझावरीडिंग

4.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.0 प्रस्तावना

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के माध्यम से ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन करने के लिए नियम बनाया गया जिसका संक्षिप्त नाम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 है। यह नियम नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 को संशोधित कर के बनाया गया है। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 केवल नगर निगम क्षेत्रों में ही लागू किये गए थे, जबकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 नगर निगम क्षेत्रों के बाहर भी लागू किया गया है। इस नियम के अंतर्गत अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायतों आदि के कर्त्तव्यों को निर्धारित किया गया है एवं नियमों के अनुपालन की मॉनिटरिंग का उत्तरदायित्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त इस नियम में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और शोधन सुविधा की स्थापना के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एवं अपशिष्ट से ऊर्जा प्रसंस्करण के लिए

मानदंड शामिल हैं।इन नियमों के क्रियान्वयन की समय-सीमा भी निर्धारित की गयी है। इस नियम में अपशिष्ट उतपन्नकर्ताओं, शहरी विकास मंत्रालय, उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, निपटानयोग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्यकर नैपकिनों और डायपरों के विनिर्माताओं या ब्रांड स्वामियों एवं अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्रों से संबंधित विद्युत् मंत्रालय के कर्त्तव्यों को शामिल किया गया है जो कि नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 में नहीं दिए गए थे।

इस इकाई के अगले भागों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी है।

4.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप:

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की मुख्य विशेषताओं के बारे में जान सकेंगे;
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के बारे में जान सकेंगे;
- इस नियम में दिए गए विभिन्न पणधारियों के कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कर सकेंगे;
- इस नियम में दिए गए मानदंडों एवं अनुसूचियों के बारे में जान सकेंगे।

4.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की मुख्य विशेषताएं:

- अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता अपने द्वारा उत्पन्न किये गए अपशिष्ट को पृथक्कृत करेगा और अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या संग्राहकर्ताओं को सौंपेगा।
- कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा उत्पन्न ठोस कचरे को अपने परिसर के बाहर सडकों , खुले सार्वजानिक स्थलों पर, या नाली में, या जलीय क्षेत्रों में न तो फेंकेगा, या जलाएगा अथवा दफ़नाएगा।

- ठोस कचरा उत्पन्न करने वालों को उपयोगकर्ता शुल्क अदा करना होगा, जो कचरा एकत्र करने वालों को प्राप्त होगा।
- अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में अपशिष्ट चुनने वालों या अनौपचारिकअपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के एकीकरण के बारे में विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत उपलब्ध कराया जाएगा।
- सभी होटल और रेस्टोरेंट अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करने, पृथक किये गए अपशिष्ट को अलग अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे।
- जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहाँ तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्ट (compost) करके अथवा बायोमीथानेशन (bio-methanation) के जरिये निपटान किया जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जायेगा।
- निपटान योग्य उत्पादों के सभी निर्माता या ऐसे उत्पादों को बाजार में लाने वाले ब्रांड स्वामी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे।
- स्वास्थ्यकर नैपकिनों तथा डायपरों के विनिर्माता या ब्रांड स्वामी या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों में सभी पुनर्चक्रणयोग्य सामग्रियों के प्रयोग की संभाव्यता का पता लगाएंगे या अपने स्वास्थ्यकर उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकिन या डायपर के निस्तारण के लिए एक पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगे।
- ईंधन का प्रयोग करने वाली और ठोस अपशिष्ट आधारित कचरा व्युत्पन ईंधन संयंत्र से सौ कि.मी. के भीतर अवस्थित सभी औद्योगिक इकाइयां इस प्रकार उत्पन्न कचरा व्युत्पन ईंधन द्वारा अपनी ईंधन अपेक्षा के कम से कम 5 प्रतिशत का प्रतिस्थापन करने के लिए इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से छः मास के भीतर व्यवस्था करेंगे।
- 1500 कि./कैल./कि.ग्रा या अधिक के कैलोरिफिक मान रखने वाले गैर पुनःचक्रण अपशिष्टों को भरण स्थलों में निस्तारित नहीं किया जाएगा

और उनका उपयोग या तो केवल व्युत्पन ईंधन अवशेष के माध्यम से या अवशेष व्युत्पन्न ईंधन तैयार करने के लिए फीड स्टॉक के रूप में देकर या ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ही किया जाएगा।

- उच्च कैलोरिफिक अपशिष्टों का उपयोग सीमेंट या ताप विद्युत् संयंत्रों में सह-प्रसंस्करण के लिए किया जाएगा।
- इस नियम में पर्वतीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट से ऊर्जा प्रसंस्करण के लिए मानदंड तय किये गए हैं।

4. 3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित क्षेत्र

यह नियम प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय, शहरी क्षेत्रों के विस्तार, जनगणना नगरों, अधिसूचित क्षेत्रों, अधिसूचित औद्यगिक नगरी, भारतीय रेल के अधीन क्षेत्रों, विमानपत्तनों, वायुयान बेस, बंदरगाह और हारबर, रक्षा स्थापनाओं, विशेष आर्थिक जोन, राज्य और केंद्रीय सरकारों के संगठनों, तीर्थ, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों पर लागू किये गए हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन औद्योगिक अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट, परिसंकटमय रसायन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, सीस-अम्ल बैटरियों और रेडियो सक्रिय अपशिष्टों को रखा गया है परन्तु वह प्रत्येक घरेलू, सांस्थानिक, वाणिज्यिक और कोई भी अन्य गैर-आवासीय ठोस अपशिष्ट जनित्र जिन पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू नहीं होता है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन होंगे।

4.4 बोध प्रश्न 1

नोट: क) अपनेउत्तरकोनीचेदिएगएउत्तरसेतुलनाकरें।

ख) नीचेदिएगएस्थानोंअपनेउत्तरलिखें।

1) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की किन्ही तीन मुख्य विशेषताओं की सूची बनाइये।

.....

.....

.....

.....

.....

2) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले किन्ही पांच क्षेत्रों के नाम बताइये।

.....

.....

.....

.....

.....

4.5 विभिन्न पणधारियों के कर्त्तव्य

4.5.1 अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के कर्त्तव्य

अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के कर्त्तव्यों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 द्वारा निर्धारित किया गया है एवं इनके कर्त्तव्य निम्न प्रकार हैं:

- प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता:
    - उनके द्वारा उत्पन्न किये गए अपशिष्ट को पृथक्कृत करेगा और तीन पृथक शाखाओं अर्थात जैव निम्नीकरणयोग्य, गैर निम्नीकरणयोग्य और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के तीन अलग अलग डिब्बों में भंडारित करेगा और अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा;
    - प्रयोग किये गए स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि को इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी थैली में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा

निर्देशित उपयुक्त लपेटन सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए बनाये गए डिब्बे में डालेगा;

- जब कभी संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होगा, उसे अपने ही परिसर में भंडारित करेगा और उसका संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार निपटान करेगा;
- अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और उसका निपटान करेगा।

- कोई अपशिष्ट जनित्र उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजानिक स्थानों, नाली या जलाशयों में न फेंकेगा, न जलाएगा और न गाडेगा।
- सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस का संदाय करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए।
- कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा एवं ऐसे व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा।
- प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसेकि अपशिष्ट प्रयोज्य प्लेटों, कपों, शेष बचा भोजन, सब्जियों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपो या पात्र या वाहन में डालेगा।
- इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर सभी आवास कल्याण और बाजार संघ, 5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल

वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान एवं सभी होटल और रेस्टोरेंट स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करना, पृथक किये गए अपशिष्ट को अलग अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहाँ तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्ट (compost) करके अथवा बायोमीथानेशन (bio-methanation) के जरिये निपटान किया जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जायेगा।

4.5.2 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कर्त्तव्य

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में इन नियमों के अनुपालन की मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होगा। यह सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता के अधीन केंद्रीय मॉनिटरिंग समिति का गठन करेगा, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे जो संयुक्त सचिव या सलाहकार की पंक्ति से निम्न के नहीं होंगे अर्थात:

- शहरी विकास मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
- कृषि मंत्रालय
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- तीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति (चक्राणुक्रम द्वारा)
- तीन राज्य सरकारों के शहरी विकास विभाग (चक्राणुक्रम द्वारा)
- दो राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास विभाग (चक्राणुक्रम द्वारा)

- तीन शहरी स्थानीय निकाय (चक्राणुक्रम द्वारा)
- दो जनगणना शहर (चक्राणुक्रम द्वारा)
- एफ आई सी सी आई, सी आई आई
- दो विषय विशेषज्ञ

इस केंद्रीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक इन नियमों के अनुपालन को मॉनिटर करने और पुनर्विलोकन करने के लिए एक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दो विशेषज्ञों को (यदि आवश्यक हो) सहयोजित कर सकेगा। समिति का प्रत्येक तीन वर्ष में नवीनीकरण किया जाएगा।

4.5.3 शहरी विकास मंत्रालय के कर्त्तव्य

शहरी विकास मंत्रालय राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के साथ निम्नलिखित के लिए समन्वय करेगा:

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यहवारों को सुधारने के लिए राज्यों तथा स्थानीय निकायों द्वारा किये गए उपायों तथा मंत्रालय और बाह्य अभिकरणों द्वारा वित्त पोषित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के निष्पादन का वर्ष में कम से कम एक बार आवधिक पुनर्विलोकन करना और सुधारात्मक उपाय करने पर सलाह देना;
- इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से छह मास के भीतर पणधारियों के साथ परामर्श से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति तथा रणनीति तैयार करना, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट के ऊर्जा की नीति भी है;
- राष्ट्रीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति और राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति पर आधारित ठोस प्रबंध के संबंध में राज्य नीति और रणनीति को तैयार करने में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का मार्गदर्शन करना और उन्हें सुकर बनाना;
- ठोस अपशिष्ट प्रबंध सेक्टर में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देना तथा राज्यों और स्थानीय निकायों के लिए सूचना का प्रसार करना;

- स्थानीय निकायों और अन्य पणधारियों को प्रशिक्षण देना और उनका क्षमता निर्माण करना; और
- समय सीमाओं और मानकों को सुकर बनाने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शी सिद्धांत तथा परियोजना वित्त प्रदान करना।

4.5.4 उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के कर्त्तव्य

उर्वरक विभाग समुचित क्रियाविधि के माध्यम से नगर कम्पोस्ट के बाजार विकास में सहायता उपलब्ध कराना और कंपनियों को विपणन के लिए इस सीमा तक उपलब्ध कराना कि उर्वरक कंपनियों द्वारा 3 से 4 थैले: 6 से 7 थैले के अनुपात में रासायनिक उर्वरकों के साथ कम्पोस्ट के सह विपणन का संवर्धन सुनिश्चित हो।

4.5.5 कृषि मंत्रालय के कर्त्तव्य

कृषि मंत्रालय समुचित तंत्र के माध्यम से कम्पोस्ट के विनिर्माण एवं बिक्री के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश को लचीलापन प्रदान करेगा, कृषि भूमि पर कम्पोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देगा, स्थानीय प्राधिकारियों या उनकी प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा उत्पादित कम्पोस्ट की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा, और कम्पोस्ट की गुणवत्ता बनाये रखने और कृषि भूमि पर कम्पोस्ट का उपयोग करते समय कम्पोस्ट की तुलना में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के अनुपात के लिए समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा।

4.5.6 विद्युत् मंत्रालय के कर्त्तव्य

विद्युत् मंत्रालय समुचित तंत्र के माध्यम से ठोस अपशिष्ट पर आधारित अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्रों से उत्पादित विद्युत् के लिए टैरिफ (tariff) या प्रभार निर्धारित करेगा और ऐसे अपशिष्ट से उत्पन्न विद्युत् की खरीद को वितरण कंपनियों द्वारा ऊर्जा संयंत्रों के लिए अनिवार्य बनाएगा।

4.5.7 नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के कर्त्तव्य

नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत मंत्रालय समुचित तंत्र के माध्यम से अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्रों के लिए अवसंरचना सृजन को सुविधाजनक बनाएगा और ऐसे संयंत्रों के लिए समुचित सब्सिडी या प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

4.5.8 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी विकास के प्रभारी सचिव के कर्त्तव्य

राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सचिव, राज्य शहरी विकास विभाग म्युनिसिपल (municipal) प्रशासन के आयुक्त या निदेशक या स्थानीय निकायों के माध्यम से निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

- इन नियमों से सुसंगत अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में अपशिष्ट चुनने वालों के प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह और समान समूहों सहित पणधारियों के परामर्श सेराज्य नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति तैयार करना जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर शहरी विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति और राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति से समरूप होगी;
- राज्य नीति और रणनीति तैयार करते समय भूमिकरण में जाने वाले अपशिष्ट का न्यूनीकरण को सुनिश्चित करने तथा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ठोस अपशिष्ट के प्रभाव को न्यूनीकृत करने के लिए ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों के अपशिष्ट में कमी, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, वसूली और अनुकूलतम उपयोग पर बल देना;
- राज्य नीतियों और रणनीतियों में कूड़ा चुनने वालों एवं अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं और पुनर्चक्रण उद्योग अनौपचारिक सेक्टर द्वारा अपशिष्ट को कम करने में निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया जाना और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में अपशिष्ट चुनने वालों या अनौपचारिकअपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के एकीकरण के बारे में विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत उपलब्ध कराना;

- सभी स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा इन नियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना;
- राज्य के शहरी योजना विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देना कि उन शहरों को छोड़कर जो साझा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा या शहरों के एक समूह के लिए क्षेत्रीय स्वच्छता भूमिकरण के सदस्य है, प्रत्येक शहर की मास्टर प्लान में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रावधान है;
- ठोस अपशिष्ट के लिए प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक वर्ष के अंदर स्थानीय निकायों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन सुनिश्चित करना और उन्हें महानगर एवं जिला योजना समितियों या नगर एवं ग्राम योजना विभाग के माध्यम से राज्य/शहरों की मास्टर योजना (भूमि उपयोग की योजना) में शामिल करना;
- राज्य और स्थानीय निकायों के शहरी योजना विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देना की 200 से अधिक आवास वाले या 5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के प्लाट वाली ग्रुप हाउसिंग या वाणिज्यिक, सांस्थानिक या अन्य गैर-आवासीय परिसर के लिए विकास योजना में ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भंडारण, विकेन्द्रित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिन्हित किया जाए ;
- विशेष आर्थिक जोन, औद्योगिक संपदा, औद्योगिक पार्क के विकासकों को निर्देश देना कि प्लाट के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 5 प्रतिशत प्लाट या शैड वसूली या पुनर्चक्रण के लिए आरक्षित करे;
- लागत भागीदारी आधार पर क्षेत्रीय सुविधा से 50 कि.मी. (या अधिक) की दूरी के अंतर्गत आने वाले शहरों और नगरों के समूह के साझा क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर भूमिकरण की स्थापना को सुकर बनाना और ऐसे स्वास्थ्यकर भूमिकरणों के वृत्तिक प्रबंधन को सुनिश्चित करना;

- ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण तथा स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण एवं परिवहन या प्रसंस्करण की व्यवस्था करना;
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ परामर्श करके 5 टन प्रतिदिन से अधिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के लिए बफर जोन अधिसूचित करना; और
- अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट के व्यापारियों के पंजीकरण के संबंध में एक योजना शुरू करना।

4.5.9 जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर या उपायुक्त के कर्त्तव्य

स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधाओं की स्थापना करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान तथा आवंटन को सुकर बनाना एवं एक तिमाही में कम से कम एक बार स्थानीय निकायों के अनुपालन का पुनर्विलोकन करना और उपचारात्मक उपाय करना जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर या उपायुक्त के कर्त्तव्य हैं।

4.5.10 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी सचिव के कर्त्तव्य

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी सचिव के कर्त्तव्य वही होंगे जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में शहरी विकास के प्रभारी सचिव के हैं।

4.5.11 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्त्तव्य

- इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ समन्वय करना और स्थानीय निकायों द्वारा निहित मानकों का पालन करना;
- सभी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं की बाबत भूजल, परिवेशी वायु, ध्वनि प्रदूषण, निक्षालन के लिए मानक निश्चित करना;

- ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं या उपचार प्रौद्योगिकियों के लिए विहित पर्यावरणीय मानकों और सन्नियमों का पुनर्विलोकन करना एवं इन मानकों के कार्यान्वयन का वर्ष में कम से कम एक बार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों के माध्यम से पुनर्विलोकन करना;
- ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और उपचार के लिए किसी नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के प्रस्तावों का पुनर्विलोकन करना और छः माह के अंदर उनके लिए निष्पादन मानक, उत्सर्जन मानदंड विहित करना;
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर इन नियमों के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत करना जिसे लोक अधिकार क्षेत्र में भी रखा जाएगा;
- प्रतिदिन 5 टन से अधिक ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने वाली सुविधाओं के विभिन्न आकारों के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं की बाहरी सीमाओं से किसी आवासीय, वाणिज्यिक या किसी अन्य संनिर्माण संबंधी क्रियाकलाप को प्रतिबंधित करने वाले बफर जोन को बनाये रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रकाशित करना;
- ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के पर्यावरणीय पहलुओं पर समय समय पर मार्गदर्शक सिद्धांत प्रकाशित करना;
- अपशिष्ट के अंतरराज्यीय संचलन पर राज्यों या संघ राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करना।

4.5.12 स्थानीय निकायों और जनगणना नगरों की ग्राम पंचायतों तथा शहरी समूहों के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व:

- छः माह के भीतर राज्य नीति और रणनीति के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करना;

नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन

- सभी घरों से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का द्वार-द्वार से संग्रहण की व्यवस्था करना;
- कूड़ा चुनने वाले/अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के एकीकरण के लिए एक प्रणाली स्थापित करना;
- एक वर्ष के भीतर इन नियमों के उपबंधों को समाविष्ट करते हुए उपविधियां बनाना और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;
- उपयोक्ता फीस विहित करना और ठोस अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से फीस का संग्रह करना;
- अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को निदेश देना कि वह कूड़ा करकट न फैलाएं तथा स्रोत अपशिष्ट को अलग-अलग करें और पृथक किये गए अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंप दें;
- पुनर्चक्रणीय सामग्रियों की छंटाई करने के लिए पर्याप्त स्थान के साथ सामग्री वसूली सुविधाएं या गौण भण्डारण सुविधाएं स्थापित करना;
- घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केंद्रों की स्थापना करना;
- परिसंकटमय अपशिष्ट निपटान सुविधा तक घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित भण्डारण और परिवहन सुनिश्चित करना;
- गली के सफाई कर्मचारियों को निदेश देना कि गली की सफाई से संगृहीत पेड़ के पत्तों को न जलाएं तथा उन्हें अलग से भण्डारण करें और स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता या अभिकरण को सौंपे;
- अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रशिक्षण देना;

- स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बाजारों में उचित स्थानों पर या बाजारों के आस-पास विकेन्द्रीकृत कम्पोस्ट प्लांट या जैव मिथेनिकरण प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहन देना;
- जनसँख्या के घनत्व, वाणिज्यिक क्रियाकलाप और स्थानीय स्थिति पर निर्भर करते हुए दैनिक या वैकल्पिक दिवसों या सप्ताह में दो बार सडकों, मार्गों, गलियों और उप-गलियों की सफाई के अपशिष्ट को पृथक रूप से संग्रह करना;
- बागवानी, उद्यानों और बगीचे के अपशिष्ट को पृथक रूप से संग्रह करना और जहाँ तक संभव हो उसका प्रसंस्करण पार्कों और बगीचों में करना;
- पृथक किये गए जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का परिवहन प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे कम्पोस्ट प्लांट, जैव मिथेनिकरण संयंत्र या किसी ऐसी सुविधा तक करना;
- निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का परिवहन निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार करना;
- समुदाय सुविधा के आस-पास दुर्गन्ध के नियंत्रण और स्वास्थ्य रक्षक स्थितियों के अनुरक्षण के अध्यधीन समुदाय स्तर पर घरेलू कम्पोस्टिंग, बायोगैस उत्पादन, अपशिष्ट के विकेन्द्रित प्रसंस्करण में समुदायों को अंतर्वलित करना;
- दो वर्षों के भीतर रासायनिक खाद के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना और स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित सभी उद्यानों, बगीचों में कम्पोस्ट का प्रयोग करना;
- ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और संबंधित अवसंरचना के संनिर्माण, प्रचलन और अनुरक्षण को सुकर बनाना जैसे कि:

  ○ जैव-मिथेनिकरण, सूक्ष्म जैविक कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, अनारोबिक डाईजेशन या जैव निम्नकरणीय-अपशिष्टों के जैव स्थितिकरण के लिए कोई अन्य समुचित प्रसंस्करण;

- अपशिष्ट के दहनशील भाग के लिए अपशिष्ट जनित ईंधन सहित अपशिष्ट से ऊर्जा प्रक्रियाएं या अपशिष्ट आधारित विद्युत् प्लांटों या सीमेंट भट्टियों को फीड स्टॉक के रूप में आपूर्ति;

- अपशिष्ट प्रसंस्करण, शोधन या निस्तारण सुविधा स्थापित करने के लिए प्राधिकार अनुदत्त करने के लिए आवेदन करना, यदि प्रतिदिन 5 मीट्रिक टन से अधिक अपशिष्ट हो;

- उत्तरवर्ती वर्ष के 30 अप्रैल या उसके पूर्व आयुक्त या निदेशक, नगरपालिका प्रशासन को या प्राधिकृत अधिकारी को वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करना एवं 31 मई तक इस रिपोर्ट को शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव या ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति को भेजना;

- कार्मिकों जिसके अंतर्गत संविदा कार्मिक और पर्यवेक्षक भी हैं, को पृथक किये गए अपशिष्ट के द्वार-द्वार से संग्रहण के लिए और प्रसंस्करण या निपटान सुविधा को प्राथमिक और द्वितीयक परिवहन के दौरान अमिश्रित अपशिष्ट के संबंध में प्रशिक्षण;

- यह सुनिश्चित करना की प्रसुविधा का प्रचालक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात वर्दी, प्रदीप्त जैकेट, हाथ के दस्ताने, बरसाती, समुचित जूते और मास्क ठोस अपशिष्ट के प्रहस्तन में लगे सभी कार्मिकों को उपलब्ध कराए और कार्यबल द्वारा इनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए;

- किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या मार्केट काम्प्लेक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व सुनिश्चित करना कि भवन योजना में पृथक किये गए अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण और भण्डारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केंद्र स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए;

- कचरा फ़ैलाने वाले या इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने वाले व्यक्तियों के लिए स्थल पर ही जुर्माना लगाने के लिए उपविधि बनाना और मापदंड विहित करना तथा बनाई गई उपविधियों

के अनुसार स्थल पर ही जुर्माना लगाने की शक्तियां उचित अधिकारियों या स्थानीय निकायों को प्रत्यायोजित करना;

- सूचना, शिक्षण और संचार अभियान के माध्यम से लोक जागरूकता का सृजन करना;
- स्वास्थ्यकर स्थल की स्थापना और प्रचालन के लिए निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने के तुरंत पश्चात् मिश्रित अपशिष्ट से भरण स्थल को भरना या एकत्र करना बंद करना;
- अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से केवल अप्रयोजनीय, गैर-पुनर्चक्रणयोग्य, गैर-जैवनिम्नीकरणीय, गैर-दहनशील और गैर-सक्रिय अपशिष्ट और पूर्व प्रसंस्करण अपशिष्टों तथा अवशिष्टों को ही स्वास्थ्यकर भरण स्थल पर जाने देने की अनुमति देना;
- सभी पुराने खुले मलबा स्थलों तथा विद्यमान प्रचालनरत मलबा स्थलों के जैव-खनन तथा जैव-उपचार की संभाव्यता के लिए जांच और विश्लेषण करना और जहाँ कहीं व्यवहार्य हो स्थलों के जैव-खनन या जैव-उपचार हेतु आवश्यक कार्रवाई करना;
- मलबा स्थल के जैव-खनन और जैव-उपचार की संभाव्यता न होने की स्थिति में पर्यावरण को होने वाली क्षति को रोकने के लिये इसे भरण स्थल कैंपिंग मानकों के अनुसार वैज्ञानिक रूप से आच्छादित करना।

4.5.13 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के कर्त्तव्य:

- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा राज्य में इन नियमों का प्रवर्तन किया जाएगा तथा वर्ष में कम से कम दो बार नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, पर्यावरणीय मानकों को मॉनीटर करना तथा शर्त का पालन करना और स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण से आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् प्रस्ताव का परीक्षण करना।

- आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और लिखित में कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् प्राधिकार अनुदत्त करने या नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा।
- वर्ष में कम से कम एक बार मानकों का अनुपालन मॉनीटर करेगा।
- परिसंकटमय अपशिष्ट भण्डारण सुविधाओं में अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा एकत्रित घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित प्रहस्तन और निस्तारण के लिए स्थानीय निकायों को निदेश देगा।
- अपशिष्ट के अंतरराज्य प्रचालन को विनियमित किया जाएगा।

4.5.14 निपटानयोग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्यकर नैपकिनों और डायपरों के विनिर्माताओं या ब्रांड स्वामियों के कर्त्तव्य:

- निपटान योग्य उत्पादों जैसे टिन, कांच, प्लास्टिक पैकेजिंग इत्यादि के सभी निर्माता या ऐसे उत्पादों को बाजार में लाने वाले ब्रांड स्वामी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे।
- गैर-जैवनिम्नीकरणीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पादों की बिक्री या विपणन करने वाले ऐसे सभी ब्रांड स्वामी उनके उत्पाद के कारण उत्पन्न हुए पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस ग्रहण करने के लिए प्रणाली की व्यवस्था करेंगे।
- स्वास्थ्यकर नैपकिनों तथा डायपरों के विनिर्माता या ब्रांड स्वामी या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों में सभी पुनर्चक्रणयोग्य सामग्रियों के प्रयोग की संभाव्यता का पता लगाएंगे या अपने स्वास्थ्यकर उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकिन या डायपर के निस्तारण के लिए एक पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगे।
- ऐसे सभी विनिर्माताओं या ब्रांड स्वामियों या विपणन कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों को लपेटने और उनका निस्तारण करने के संबंध में लोगों को जानकारी दी जाएगी।

4.5.15 कचरा व्युत्पन ईंधन से सौ कि.मी. के अंदर अवस्थित औद्योगिक इकाईयों और ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा संयंत्रों के कर्त्तव्य:

ईंधन का प्रयोग करने वाली और ठोस अपशिष्ट आधारित कचरा व्युत्पन ईंधन संयंत्र से सौ कि.मी. के भीतर अवस्थित सभी औद्योगिक इकाइयां इस प्रकार उत्पन्न कचरा व्युत्पन ईंधन द्वारा अपनी ईंधन अपेक्षा के कम से कम 5 प्रतिशत का प्रतिस्थापन करने के लिए इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से छः मास के भीतर व्यवस्था करेंगे।

4.6 बोध प्रश्न 2

नोट: क) अपनेउत्तरकोनीचेदिएगएउत्तरसेतुलनाकरें।

ख) नीचेदिएगएस्थानोंअपनेउत्तरलिखें।

1) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी विकास के प्रभारी सचिव का विशेष आर्थिक जोन से संबंधित क्या कर्त्तव्य है।

.....

.....

.....

.....

.....

2 स्थानीय निकाय और पंचायतें वार्षिक रिपोर्ट कब और किसको प्रस्तुत करते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

3) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए किसके साथ समन्वय करेगा?

.....

.....

.....

.....

4) निम्नलिखित अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के क्या कर्त्तव्य हैं:

होटल और रेस्टोरेंट

मार्ग विक्रेता

.....

.....

.....

.....

4.7 मानदंड

4.7.1 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और शोधन सुविधा की स्थापना के लिए मानदंड

- भूमि समनुदेशन कार्य आवंटन विभाग ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और शोधन सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से ऐसे स्थलों को अधिसूचित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

- सुविधा का प्रचालक निर्धारित तकनीकी मार्गदर्शी सिद्धांतों और मैन्युअल के अनुसार सुविधा का डिज़ाइन करेगा और इसकी स्थापना करेगा।

- सुविधा के प्रचालक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं उनका उत्तरदायित्व निर्धारित सिद्धांतों और मैन्युअल के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रचालन का होगा ।

- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और शोधन सुविधाओं के प्रचालन के पर्यावरण मानकों की मॉनिटरिंग की जाएगी।

4.7.2 पर्वतीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानदंड

पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय प्राधिकरणों के कर्त्तव्य और दायित्व निम्नलिखित अतिरिक्त खंडों के सहित नियम 15 में उल्लिखित के समान होंगे:

- पर्वत पर भरण स्थल के संनिर्माण से बचना होगा। प्रसंस्करण सुविधा से अवशिष्ट अपशिष्ट और निष्क्रिय अपशिष्ट का संग्रहण करने के लिए एक उपयुक्त निकटतम अवस्थान पर एक अंतरण स्थान स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्यकर भरण की स्थापना करने के लिए 25 किलोमीटर के भीतर पहाड़ी के नीचे समतल भूमि क्षेत्र में योग्य भूमि की पहचान की जाएगी एवं ऐसी भूमि उपलब्ध न होने की दशा में निष्क्रिय और अवशिष्ट के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर भरण स्थल स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे।

- स्थानीय निकाय उपविधि बनाएगा और नागरिकों को गलियों में अपशिष्ट फेंकने से प्रतिषिद्ध करने तथा पर्यटकों को गलियों में या पहाड़ियों से अपशिष्ट नीचे न फेंकने और स्थानीय निकाय द्वारा रखे गए कूड़ेदान में फेंकने के निर्देश देगा।

- स्थानीय निकाय पर्वतीय क्षेत्रों का भ्रमण करने वाले सभी पर्यटकों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रावधानों को व्यक्त करने की व्यवस्था करेगा

एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं संवहनीय बनाने को प्रवेश द्वार पर पर्यटक से ठोस प्रबंधन प्रभार उद्गृहित कर सकेगा।

4.7.3 अपशिष्ट से ऊर्जा प्रसंस्करण के लिए मानदंड

- 1500 कि./कैल./कि.ग्रा या अधिक के कैलोरिफिक मान रखने वाले गैर पुनःचक्रण अपशिष्टों को भरण स्थलों में निस्तारित नहीं किया जाएगा और उनका उपयोग या तो केवल व्युत्पन्न ईंधन अवशेष के माध्यम से या अवशेष व्युत्पन्न ईंधन तैयार करने के लिए फीड स्टॉक के रूप में देकर या ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ही किया जाएगा।
- उच्च कैलोरिफिक अपशिष्टों का उपयोग सीमेंट या ताप विद्युत् संयंत्रों में सह-प्रसंस्करण के लिए किया जाएगा।

4.8 अनुसूचियाँ

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इस अधिसूचना में दो अनुसूचियाँ शामिल की गयी हैं जो निम्न प्रकार हैं:

4.8.1 स्वास्थ्यकर भरण स्थलों के लिए विनिर्देश

इसके अंतर्गत दस मानदंड रखे गए हैं- स्थल चयन के लिए मानदंड, स्वास्थ्यकर भरण स्थलों पर सुविधाओं के विकास के लिए मानदंड, भूमि भरण प्रचालनों और भूमि भरण पूर्ण होने पर उनको बंद करने के लिए मानदंड, प्रदूषण निवारण के मानदंड, जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग के लिए मानदंड, परिवेशी वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिए मानदंड, भूमि भरण स्थल पर पौधरोपण के लिए मानदंड, भूमि भरण स्थल पर पश्चात्वर्ती देखरेख के लिए मानदंड, पहाड़ी क्षेत्रों के किये विशेष प्रावधानों हेतु मानदंड एवं पुराने मलबा स्थलों को बंद और बहाल करने के लिए मानदंड।

4.8.2 ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और शोधन के मानक

इसके अंतर्गत तीन मानक तय किये गए हैं- खाद के मानक, शोधित निक्षालकों के लिए मानक एवं भस्मीकरण के मानक।

4.9 सारांश

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किया गया है। इस इकाई में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 से भिन्नताओं, इस नियम की मुख्य विशेषताओं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित क्षेत्रों, विभिन्न पणधारियों के कर्त्तव्यों एवं इस नियम में शामिल मानदंडों और अनुसूचियों पर विस्तार से चर्चा की गयी है।

4.10 प्रमुखशब्द

- जैविक मिथेनिकरण: यह ऐसी है जिसमें मिथेन से भरपूर जैव गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्मजीवी क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ इंजाइमी अपघटन को अपरिहार्य बनाता है।
- ब्रांडस्वामी: कोई व्यक्ति या कंपनी जो किसी रजिस्ट्रीकृत ब्रांड लेवल के अधीन कोई वाणिज्यिक विक्रय करता है।
- जनगणना नगर: भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा यथा परिभाषित शहरी क्षेत्र।
- घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट: घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सीएफएल बल्ब, ट्यूब लाइटें, अवधि समाप्त औषधियां, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियां, प्रयुक्त सूइयां तथा सिरिंज और संदूषित पट्टियां आदि।

- शुष्क अपशिष्ट: जैव-निम्नीकरण अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा-करकट से भिन्न अपशिष्ट जिसके अंतर्गत पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, दाह्य अपशिष्ट और स्वास्थ्यकर नैपकिन और नैपकिन आदि अपशिष्ट भी हैं।
- प्राथमिक संग्रहण: पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को उसके उत्पादन के स्रोत (जिसके अंतर्गत घर, दुकानें, कार्यालय और कोई अन्य गैर आवासीय परिसर भी हैं) से या किसी संग्रहण बिंदु या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अवस्थान से संगृहीत करना, उठाना या हटाना।
- प्रसंस्करण: कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट को पुनः उपयोग, पुनः चक्रित या नए उत्पादों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए हथालित करना है।
- पुनर्चक्रण: पृथक्कृत ठोस ाअपशिष्ट को अजैव निम्नीकृत नए पदार्थ या नए उत्पादों का उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जिसमें मूल उत्पादों को समरूप किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा।
- कचरा व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ): ठोस अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, काष्ठ, लुगदी या कार्बनिक अपशिष्ट, क्लोरीनीकृत पदार्थों से भिन्न ठोस अपशिष्ट को सुखाकर कतरन, निर्जलीकरण और संहनन द्वारा गुटिका या रोंए के कप में उत्पादित बाह्य अपशिष्ट प्रभाजी से व्युत्पन्न ईंधन।

4.11 संदर्भऔरसुझावरीडिंग

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 8 अप्रैल, 2016: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000

4.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1:

1) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की तीन मुख्य विशेषताएं:
   - अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता अपने द्वारा उत्पन्न किये गए अपशिष्ट को पृथक्कृत करेगा और अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या संग्राहकर्ताओं को सौंपेगा।
   - कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा उत्पन्न ठोस कचरे को अपने परिसर के बाहर सडकों, खुले सार्वजानिक स्थलों पर, या नाली में, या जलीय क्षेत्रों में न तो फेंकेगा, या जलाएगा अथवा दफ़नाएगा।
   - ठोस कचरा उत्पन्न करने वालों को उपयोगकर्ता शुल्क अदा करना होगा, जो कचरा एकत्र करने वालों को प्राप्त होगा।
2) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले पांच क्षेत्र: शहरी स्थानीय निकाय, शहरी क्षेत्रों के विस्तार, अधिसूचित औद्यगिक नगरी, भारतीय रेल के अधीन क्षेत्र, विमानपत्तन

बोध प्रश्न 2:

1) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी विकास के प्रभारी सचिव विशेष आर्थिक जोन को निर्देश देंगे कि प्लाट के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 5 प्रतिशत प्लाट या शैड वसूली या पुनर्चक्रण के लिए आरक्षित करे।
2) स्थानीय निकाय और पंचायतें उत्तरवर्ती वर्ष के 30 अप्रैल या उसके पूर्व आयुक्त या निदेशक, नगरपालिका प्रशासन को या प्राधिकृत अधिकारी को वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करेंगे।
3) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रक समितियों के साथ समन्वय करेगा।
4) होटल और रेस्टोरेंट स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करने, पृथक किये गए अपशिष्ट को अलग अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

मार्ग विक्रेता अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसेकि अपशिष्ट प्रयोज्य प्लेटों, कपों, शेष बचा भोजन, सब्जियों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपो या पात्र या वाहन में डालेगा।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY